न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 108/2019
पंजीयन दिनांक 29.08.2019

(1). मोहम्मद फारूख पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(2). मुस्ताक अहमद पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(3). मोहम्मद अल्ताफ हुसैन पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(4). मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(5). फरीदी पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(6). हसीना पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मुबारिक हुसैन मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(7). शाहिदा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मुश्ताक अहमद मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(8). शाहीन पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मोहम्मद शकील मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(9). फिरोजा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि आईनुद्दीन मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांटगण

बनाम

(1). शमशुद्दीन पिता इब्राहिम जाति मुसलमान पिंजारा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(2). रामनिवास पिता सीताराम जाति गाडरी निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(3). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 102/1990 प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.01.1991

उपस्थित वक्त बहस–(1). छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांटगण

(2). सरफराज अहमद– रेस्पोडेन्ट संख्या 1

(3). रेस्पोडेन्ट सख्या 2– बावजूद सूचना अनुपस्थित

(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 3

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या–डिकी 107/2019

पंजीयन दिनांक 29.08.2019

(1). मोहम्मद फारूख पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(2). मुस्ताक अहमद पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(3). मोहम्मद अल्ताफ हुसैन पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(4). मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(5).फरीदा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(6). हसीना पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मुबारिक हुसैन मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(7). शाहिदा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मुश्ताक अहमद मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(8). शाहीन पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मोहम्मद शकील मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(9). फिरोजा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि आईनुद्दीन मंसुरी जाति मुसलमान निवासी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांटगण

बनाम

(1). शमशुद्दीन पिता इब्राहिम जाति मुसलमान पिंजारा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(2). रामनिवास पिता सीताराम जाति गाडरी निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(3). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 102/1990 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.1991

उपस्थित वक्त बहस–(1). छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). सरफराज अहमद– रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). रेस्पोडेन्ट सख्या 2– बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 3

निर्णय **दिनांक 27.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 53 व 209 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा गादोला तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी संख्या 515 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, आराजी संख्या 546 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 611 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 621 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वादी के दादा रमजानी खां के समय की होकर पुश्तैनी है। इसके अलावा रमजानी खां के ओर भी जमीने थी। रमजानी खां के देहान्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

के बाद उक्त कृषि आराजीयात एवं अन्य कृषि आराजीयात के वारिस उनके लड़के हुसैनबक्ष व इब्राहिम हुए। हुसैनबक्ष की जमीने अलग-अलग की जाने से उक्त कृषि आराजीयात केवल इब्राहिम के हिस्से मे रही। इस प्रकार उक्त कृषि आराजीयात इब्राहिम की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। मौजा गादोला की आराजी सख्या 535 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा जो पुश्तेनी होकर इसमे भी हुसेनबक्ष का आधा हिस्सा बाद मे उसके लड़के ने प्रतिवादी संख्या 3 को विकय कर दिया। इस प्रकार उक्त कृषि आराजीयात इब्राहिम व प्रतिवादी संख्या 3 की शामलाती खातेदारी की होकर इसमे इब्राहिम का आधा हिस्सा शामलाती था। मौजा गादोला की आराजी सख्या 625 रकबा 6 बिस्वा आ0 चाह व आराजी सख्या 775 रकबा 1 बिस्वा जो भी पुश्तैनी होकर इसमे भी इब्राहिम का 1/4 शामलाती हिस्सा है। इब्राहिम का करीब 48 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया उस समय वादी रेस्पोडेन्ट करीबन 3 साल की उम्र का होकर प्रतिवादी संख्या 1 व अपनी माता शकुरन बाई के साथ रहता था। इसलिए घर का मुखिया प्रतिवादी संख्या 1 होने से उपरोक्त आराजीयात उसके नाम पर दर्ज हो गई जबकि इन पर वादी रेस्पोडेन्ट व प्रतिवादी संख्या 1 व माता शकुरन व बहन सफीया का शामलाती हक हिस्सा व कब्जा है। इसमे मुस्लिम कानून के अनुसार 1/8 हिस्सा माता शकुरन का व 7/20 हिस्सा वादी रेस्पोडेन्ट का , 7/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का व 7/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का है। शकुरन का भी अभी अरसा 6 माह हुये देहान्त हो चुका है और उसके वारिस भी वादी रेस्पोडेन्ट व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हुए इस प्रकार शकुरन का 1/8 हिस्सा जो कि इन आराजीयात मे था वो भी वादी रेस्पोडेन्ट व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मिला। इस प्रकार मौजूदा आराजीयात मुतदाविया मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 2/5 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है अतः वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र डिकी फरमाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 3 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताते हुए उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। उक्त पत्रावली मे प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.12.1990 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया व उक्त राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.01.1991 को प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की। तत्पश्चात विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा तलब किया जाकर दिनांक 10.07.1991 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.1991 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.1991 से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान ने प्रतिवादी सख्या 1 का स्वर्गवास हो जाना बताते हुए अलग-अलग प्रथम अपीले इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। दोनो अपीले म्याद बाहर होने से दोनो अपीलों के प्रार्थना-पत्र धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं उसके पश्चात पारित अंतिम निर्णय व डिक्री की अपीले प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील कमांक डिक्री 108/2019 व अपील कमांक डिक्री 107/2019 दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांटगण के पिता गनी के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने एक ही पत्रावली कायम कर पत्रावली मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की व उसके पश्चात फर्द बंटवाड़ा तलब किया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की जिसके विरूद्ध अपीलांटगण की ओर से अलग-अलग अपीलें प्रस्तुत हुई परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व दोनों अपीलों मे पक्षकार समान होने से दोनो पत्रावलीयों मे एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। दोनो पत्रावलीयों मे निर्णय की एक-एक प्रति संलग्न रहे।

दोनों अपीलों के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर दोनों अपीलों मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर दोनों अपीलों मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर दोनो अपीलें अंदर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे गनी व अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ वादपत्र प्रस्तुत किया । उक्त वादपत्र दिनांक 17.07.1990 को दर्ज रजिस्टर हुआ। दिनांक 08.01.1991 को दस्तावेज प्रस्तुत हुए। वादपत्र दिनांक 14.01.1991 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे मौजा गादोला की आराजी संख्या 515, 546, 611, 621 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा भूमि के संबंध मे इस आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित कृषि आराजीयात हुसैनबक्ष, इब्राहिम की पुश्तैनी होकर पैतृक सम्पत्ति है जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का हक व हिस्सा निहित है। अधिवक्ता अपीलांट्गण ने अपनी बहस मे यह निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान के मध्य दिनांक 17.12.1990 को हुए राजीनामे के अनुसार दिनांक 14. 01.1991 को प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित की है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 गनी का दिनांक 15.10.1990 को स्वर्गवास हो चुका था जिससे गलत व्यक्ति को उपस्थित कर राजीनामा करवाया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजीनामे के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री व उसके पश्चात फर्द बंटवाड़ा मगंवाया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रथमःतया अपील म्याद बाहर प्रस्तुत हुई है। गनी की मृत्यु कब हुई है उसके संबंध मे अपीलांट्गण की ओर से गनी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रतिवादी गनी की तामील हुई है। दिनांक 17. 07.1990 की आदेशिका मे प्रतिवादी संख्या 1 गनी ने उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है व उभय पक्षकारान के मध्य लिखित राजीनामा प्रस्तुत हुआ है। उक्त लिखित राजीनामे पर प्रतिवादी संख्या 1 गनी के हस्ताक्षर है। उक्त लिखित राजीनामे को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तस्दीक किया है व लिखित राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर तहसीलदार निम्बाहेड़ा से फर्द बंटवाड़ा मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांट्गण जो प्रतिवादी संख्या 1 गनी के वारिसान है, ने प्रतिवादी संख्या 1 गनी के द्वारा किये गए राजीनामे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

से पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलें प्रस्तुत की है। जो राजीनामे के अनुसार पारित किये जाने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांटगण जो प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के मध्य अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे लिखित राजीनामा प्रस्तुत हुआ व राजीनामा तस्दीक होकर उभय पक्षकारान के मध्य हुए लिखित व तस्दीकशुदा राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे फर्द बंटवाड़ा लिया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें स्वीकार योग्य नहीं है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांटगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 गनी व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुआ जिसके आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर है। दिनांक 17.12.1990 को उभय पक्षकारान के मध्य लिखित राजीनामा होकर लिखित राजीनामा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ जिस पर अपीलांटगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 गनी के हस्ताक्षर है। उक्त लिखित राजीनामा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.1990 को तस्दीक किया गया । उसके पश्चात राजीनामे के अनुसार दिनांक 14.01.1991 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री मे तहसीलदार निम्बाहेड़ा को फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत करने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। जिस पर पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक ने बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए। फर्द बंटवाड़ा उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाड़े पर उभय पक्षकारान को सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.07.1991 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय व डिक्री उभय पक्षकारान के मध्य हुए लिखित व तस्दीकशुदा राजीनामे के अनुसार है। साथ ही अपीलांट्गण की यह आपत्ति कि अपीलांट्गण के पिता गनी की राजीनामे के पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी जबकि पत्रावली मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के तहत अब्दुल गनी के द्वारा दिनांक 28.01.1991 को पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित करवाया है जो अब्दुल सलीम पिता निसार अहमद मुसलमान के पक्ष मे निष्पादित हुआ है। उक्त दस्तावतेज एक पंजीकृत दस्तावेज है, ऐसी स्थिति मे अपीलांट्गण के पिता अब्दुल गनी दिनांक 28.01.1991 तक जीवित होना प्रमाणित होता है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान के मध्य लिखित राजीनामे के अनुसार पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय डिक्री विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें अपील कमांक डिक्री 108/2019 व अपील कमांक डिक्री 107/2019 स्वीकार योग्य नहीं है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण अपील कमांक डिक्री 108/2019 व अपील कमांक डिक्री 107/2019 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 102/1990 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.1991 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.1991 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की एक-एक प्रति दोनो अपीलों के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरि सिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 107/2019 /डिक्री

(1) श्री मोहम्मद फारूख पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(2) मुश्ताक अहमद पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री शमशुद्दीन पिता इब्राहिम जाति मुसलमान पिंजारा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(2) रामनिवास पिता सीताराम जाति गाडरी निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(3) राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा दि. 10-07-1991 प्रकरण सं. 102/1990 अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 27-10-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री सरफराज अहमद रेस्पो. सं. 1 रेस्पो. सं. 2 आबरू की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि - (रेस्पो. अनुपस्थित (4) प्रहलाद स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.-3)

अपील अपीलांटगण अपील क्रमांक डिक्री 108/2019 व अपील क्रमांक डिक्री 107/2019 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 102/1990 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14-01-1991 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10-07-1991 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ....../...... रुपये हैं, .../...... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ....../...... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 27-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरि सिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

(मुहर: राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.))

दिनांक : 27-10-2022 अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

③ मोहम्मद अल्ताफ हुसैन पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

④ मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

⑤ फरीदा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

⑥ सगीना पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मुबारिक हुसैन मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

⑦ शाहिदा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मुश्ताक अहमद मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

⑧ शाहीन पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मोहम्मद शकील मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

⑨ फिरोजा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि आरजुद्दीन मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमान न्यायालय राजस्व
...वामें,